फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्रीमती टाकूबाई**

विपक्षी :– **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट

पत्रावली संख्या :– **46/25 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/168**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.08.2025	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थना सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया संख्या 1 के पति एवं प्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के पिता का नाम बाबरीया गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं के आधार कार्ड की फोटोप्रति, वोटर आईडी की फोटोप्रति, राशनकार्ड की फोटोप्रति, जनआधार कार्ड की फोटोप्रति ग्राम पंचायत भीमल द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, प्रार्थीया संख्या 1 स्वयं का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीया संख्या 1 के पति एवं प्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के पिता का नाम बगदीराम होना जाहिर होता है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार भी बगदीराम एवं बाबरीया को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही नाम बता देते है। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तविक नाम से पारित नही होकर ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थीया सख्ंया 1 के पति एवं प्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के पिता का नाम गलत अंकित कर दिया गया। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया संख्या 1 के पति एवं प्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के पिता का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:56 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वागरोदा पटवार हल्का भीमल तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 192 पर दर्ज आराजीयात भूमि में टाकू बाई पत्नी बाबरिया, देवीलाल पुत्र बाबरिया, पंकज पुत्र बाबरिया, प्रभुलाल पुत्र बाबरिया, मुन्ना कुमारी पुत्री बाबरिया के बजाय टाकू बाई पत्नी बाबरिया उर्फ बगदीराम, देवीलाल पुत्र बाबरिया उर्फ बगदीराम, पंकज पुत्र बाबरिया उर्फ बगदीराम, प्रभुलाल पुत्र बाबरिया उर्फ बगदीराम, मुन्ना कुमारी पुत्री बाबरिया उर्फ बगदीराम संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:56 IST
Reason: SelfAttested